उ० प्र० सूचना आयोग, छठाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ

शिकायत सं०/अपील सं० S-6 2279 (सी)/ 08

श्री S.C जैन .... P.I.O/ सहा. रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स मेरठ/

नकलादेश दिनांकित 15-10-09

नियततिथि/निस्तारित तिथि 15-10-09

मा0 श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त

शिकायत संख्या एस6-2279/सी/08

आदेश

प्रस्तुत वाद में वादी श्री एस0सी0जैन ने जन सूचना अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटी एवं चिट्स, मेरठ को दिनांक 20.12.2007 एवं 21.01.2008 को आवेदन पत्र देकर क्रमशः 20 बिन्दुओं एवं 04 बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी। प्रतिवादी की ओर से वादी के पत्र दिनांक 20.12.2007 के संबंध में दिनांक 21.01.2008 एवं दिनांक 21.01.2008 के आवेदन के संबंध में दिनांक 27.02.2008 को उत्तर दिया गया। प्रतिवादी की ओर से दी गयी सूचनाओं से संतुष्ट न होने पर वादी द्वारा विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपनी प्रथम अपील दर्ज करायी गयी एवं दिनांक 18.06.2008 को सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की गयी, जिसे वाद संख्या एस6-2279/सी/08 के तहत पंजीकृत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने उक्त दोनों ही आवेदन पत्रों के संबंध में वादी को नियमानुसार जवाब दिया गया है। प्रतिवादी की ओर से विशेष सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स को प्रेषित पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "जब केवल सूचना की बात आए तब सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 लागू होगा और जब अभिलेख की प्राप्ति अथवा निरीक्षण की बात आए तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्राविधान लागू होंगे।"

आयोग द्वारा पूर्व में भी कई ऐसे मामलों में यथा राजस्व विभाग के मामलों में सुनवाई करते समय यह आदेश दिया जा चुका है कि आयोग ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता हैं जहां सामान्य रूप में विभाग द्वारा निर्गत किए जाने वाले अभिलेखों हेतु शासकीय व्यवस्था के तहत दिए जाने वाले अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विभिन्न पूर्व पंचलित कानूनों मे तत्संबंधी प्राविधान लागू है।

अतः उपरोक्त वाद के सिलसिले में भी आयोग यह फैसला देता है कि वादी यदि अपने आवेदन पत्र द्वारा चाही गयी प्रमाणित प्रतियों की प्राप्त करना चाहे तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत प्राविधानित नियमों के तहत शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकता है।

इस आदेश के साथ ही इस वाद को निस्तारित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

ह० ज्ञानेन्द्र शर्मा,
15-10-09

श्री संजीत कुमार
[आवेदक]

Office of The Chief Information Commissioner, Indira Bhawan, 6th Floor, Lucknow

प्रति० क्रमांक 26

आवेदन की तिथि 03-12-09

तैयारी की तिथि 07-12-09

नकल देने की तिथि 07-12-09

सत्य-प्रतिलिपि

(मुमताज अहमद)
प्रभारी नकल अनुभाग
उ०प्र० सूचना आयोग
लखनऊ।

संख्या–आडिट–322 / दस–2006–601(14) / 2005

1430

प्रेषक,

छत्रपाल
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एव चिट्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

रजिस्ट्रार
20/3/06

वित्त (लेखा–परीक्षा) अनुभाग

लखनऊ : : दिनॉक 10 मार्च, 2006

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के कियान्वयन के सम्बन्ध में ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2099 / लखनऊ, दिनॉक 19–01–2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में पत्रावलियों का निरीक्षण करने हेतु रू0 50/– का शुल्क लिया जाता है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अभिलेखों की प्राप्ति हेतु रू0 2/– का शुल्क निर्धारित है । सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 में अभिलेख की प्राप्ति का कोई प्राविधान नहीं है बल्कि अभिलेखों के बारे में सूचना का अधिकार दिया गया है । सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम में अभिलेखों की प्राप्ति तथा पत्रावलियों के निरीक्षण का शुल्क व्यवस्थित होने के कारण कोई विसगति नहीं उत्पन्न होती है ।

उपर्युक्त स्पष्ट व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि जब केवल सूचना की बात आये तब सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 लागू होगा और जब अभिलेख की प्राप्ति अथवा निरीक्षण की बात आये तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्राविधन लागू होंगे । कृपया तदनुसार सम्बन्धित अधिनियमों में उल्लिखित व्यवस्थाओं के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(छत्रपाल)
विशेष सचिव ।